

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून), कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0- सिनौला, देहरादून के पत्रांक 1351/133/81 दिनांक 06.08.2020 के क्रम में उनके द्वारा नगरपालिका मसूरी की स्वामित्व वाली कैमलबैक म्युनिसिपल आरक्षित भूमि पर प्रस्तावित एस0टी0पी0 निर्माण हेतु आपेक्षित भूमि/क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किये जाने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग के पत्रांक 844/12-1 दिनांक 26.08.2020 के अनुपालन में दिनांक 29.08.2020 को उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून) के प्रतिनिधियों, नगरपालिका, मसूरी के मानचित्रकार व वन विभाग के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है।

1	श्री आर0के0 काम्बोज	सहायक अभियन्ता	उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
2	श्री कमल किशोर	अपर सहायक अभियन्ता	उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी
3	श्री कुलदीप गैरोला	राजस्व निरीक्षक	राजस्व विभाग, भटौली, नैनबाग
4	श्री बी0एस0 रावत	वन क्षेत्राधिकारी	मसूरी राजि, मसूरी
5	श्री जगजीवन लाल	वन दरोगा	मसूरी राजि, मसूरी
6	श्री दिवान सिंह नेगी	वन बीट अधिकारी	मसूरी राजि, मसूरी

- रौक क्लिफ इस्टेट वन स्वरूप सूची क्रमांक 43 के अनुसार वन स्वरूप के रूप में दर्ज है।
- रौक क्लिफ इस्टेट अन्तर्गत आवेदक की कुल 1650 वर्ग मीटर अर्थात् 0.1650 हे0 क्षेत्र में पहुंच मार्ग, सीवर लाईन एवं एस0टी0पी0 का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण प्रस्तावित नहीं है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य का विवरण	भूमि का स्वरूप	संख्या	प्रस्तावित भूमि की नपत			
				लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (व0मी0 में)	क्षेत्रफल (हे0 में)
1	पहुंच मार्ग, सीवर लाईन	वन स्वरूप		300.00	4.50	1350.00	
2	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (0.7 एम0एल0डी0)	वन स्वरूप	1	20.00	15.00	300.00	
						1650.00	0.1650

- वर्णित भूमि/क्षेत्र के उत्तर दिशा में रौक क्लिफ, दक्षिण दिशा में कैमल्स बैक रोड, पूरब दिशा में फर्न हिल इस्टेट तथा पश्चिम दिशा में रौक क्लिफ इस्टेट स्थित है। प्रस्तावित निर्माण स्थल की जी0पी0एस0 रीडिंग निम्नवत् है :-
 बिन्दु ए - N-30°-27-50.8' E-078°-04'-24.6' Hight- 1944 Mt.
 बिन्दु बी - N-30°-27-50.3' E-078°-04'-25.0' Hight- 1944 Mt.
 बिन्दु सी - N-30°-27-44.9' E-078°-04'-24.6' Hight- 1958 Mt.
 बिन्दु डी - N-30°-27-50.6' E-078°-04'-24.3' Hight- 1947 Mt.
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून) के स्वामित्व की भूमि पर प्रस्तावित निर्माण कार्य में निम्नलिखित व्यास वर्ग के वृक्ष अवस्थित हैं :-

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	अभ्युक्ति
1	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 2 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
2	बांज	20-30	1	निर्माण में बाधक है।
3	बांज	30-40	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 8 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
4	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 8 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
5	बांज	10-20	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 8 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
6	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 10 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
7	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 12 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
8	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 9 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
9	बांज	10-20	1	निर्माण में बाधक है।

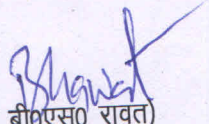
10	बांज	10-20	1	निर्माण में बाधक है।
11	बांज	10-20	1	निर्माण में बाधक है।
12	बांज	10-20	1	निर्माण में बाधक है।
13	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 3 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
14	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 3 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
15	बांज	10-20	1	निर्माण में बाधक है।
16	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 5 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
17	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 7 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
18	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 10 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
19	बांज	10-20	1	निर्माण में बाधक है।
20	बांज	10-20	1	निर्माण में बाधक है।
21	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 2 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
22	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 2 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
23	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 3 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
24	बांज	10-20	1	निर्माण में बाधक है।
25	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 5 मी0 दूरी पर अवस्थित है।
26	बांज	20-30	1	प्रस्तावित निर्माण कार्य से लगभग 5 मी0 दूरी पर अवस्थित है।

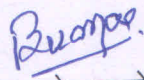
5. प्रस्तावित निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। निर्माण कार्य में 09 वृक्ष (नों) बाधक हैं, जिनका पातन किया जाना है।

चूंकि रौक विलफ इस्टेट वन स्वरूप है, जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे तथा स्थल पर किसी भी गैर वानिकी कार्य (Non-forestry-activities) के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक है।


(दिवान सिंह नेगी)
वन बीट अधिकारी
मसूरी राजि, मसूरी


(श्री जगजीवन लाल)
वन दरोगा
मसूरी राजि, मसूरी


(श्री बीएस रावत)
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी राजि, मसूरी


(आरुण कुमार)
सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी


(श्री कमल किशोर)
अपर सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी


(श्री आदित्य शाह)
मानचित्रकार
नगर पालिका परिषद, मसूरी